न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

प्रकरण संख्या :: 102/2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025/164

अपीलाण्ट :–	**बनाम**	**रेस्पोडेण्ट :–**
सेणु देवी पत्नी कानाराम चौधरी, जाति जाट हाल निवासी मकान संख्या 03 आदर्श नगर आलावास रोड़ सोजत रोड़ तहसील सोजत जिला पाली (राज.)		सुनिता चौधरी पत्नी मुकेश कुमार चौधरी पुत्री घेवरराम टाडा जाति जाट निवासी मेघदड़ा तहसील रायपुर जिला ब्यावर, द्वितीय पता – आलावास रोड़ सोजत रोड़ तहसील सोजत जिला पाली (राज.)

अपील अंतर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

उपस्थिति :– अपीलाण्ट स्वयं एवं उनके अधिवक्ता

रेस्पोडेण्ट स्वयं एवं उनके अधिवक्ता

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 27.10.2025

अपीलाण्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 तहत विरूद्ध उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत के प्रकरण संख्या 03/2025 बअनवान सेणूदेवी बनाम सुनिता चौधरी में आदेश दिनांक 18.08.2025 को निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है। अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाण्ट की ओर से अपीलाण्ट स्वयं एवं उनके अधिवक्ता श्री मदन लाल सोनी व रेस्पोडेण्ट स्वयं एवं उनके अधिवक्ता श्यामसिंह सोलंकी वक्त बहस न्यायालय में उपस्थित आये। बहस सुनी गई।

न्यायालय जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा है। अपीलाण्ट स्वयं की आय से अर्जित खरीदसुदा प्लॉट संख्या 67, आबादी भूमि खसरा नम्बर 22/1, संपरिवर्तन आदेश संख्या/राजस्व/863 दिनांक 28/04/1994 है, जिसका पट्टा संख्या 20, बुक संख्या 102, मिसल संख्या 52/2022–23, दिनांक 18/01/2023 की संकल्प संख्या 07 की अनुपालना दिनांक 06/04/2023 का जारीसुदा है, जिसमें रहवासीय मकान आदर्श नगर, आलावास रोड़, सोजत रोड तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में आया हुआ स्थित है, उक्त मकान में सभी मुलभूत सुविधांए अपीलाण्ट स्वयं की स्वअर्जित आय से निर्माण की जो सम्पति अपीलाण्ट की मालिकाना हक की है। अपीलाण्ट अपने पति कानाराम चौधरी के साथ उक्त प्लॉट में रह रही है तथा मुझ प्रार्थीया का बड़ा पुत्र मनोज जोधपुर में निवास कर रहा है और मेरा छोटा पुत्र मुकेश अभी मुन्द्रा गुजरात में निवास कर रहा है। हम बुजुर्ग दम्पति मेरे स्वयं के मालिकाना मकान में निवास कर रहे है। रेस्पोडेण्ट आतंकित होकर जबरन दिनांक 04/04/2025 को मेरे घर का ताला तोड़ कर घर में घुस गई व गाली गलोच व लड़ाई झगड़ा करती हुई मुझे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। रेस्पोडेण्ट झगड़ालु प्रवृति की

महिला हैं जो हर समय लड़ाई झगड़ा करती रहती है एवं शराब, जुआ, सिगरेट पीने की आदि हैं तथा स्वतंत्र विचारधारा को लेकर अन्य युवको को उक्त मकान में शौक के रूप में घर बुलाकर हमारे घर में अश्लील वातावरण पैदा करती है। उक्त बात को लेकर अपीलाण्ट के परिवार के सदस्यों द्वारा समझाने का प्रयास करते है तो उल्टा अपीलाण्ट एवं उनके परिवार वालो को भद्दी अश्लील एवं गन्दी गन्दी गालियो के द्वारा अड़ौस पड़ौस एवं मौहल्ले वालो को सुनाकर प्रार्थीया व उनके परिवार वालो की सामाजिक प्रतिष्ठा भी धुमील करती हैं जिससे मैं और मेरे पति के जीवन जीने का मुलभूत अधिकार से वंचित करने जैसा कृत्य रेस्पोडेण्ट द्वारा किया जा रहा है। रेस्पोडेण्ट के उक्त कृत्य से इस संसार में जीना भी हमारा दुर्भर हो गया है। मैं अपीलाण्ट अक्सर बीमार रहती हूं, हाई बी.पी. की गोलियाँ चल रही है और मेरे पति हार्ट, शुगर, बी.पी. एवम् ब्रेन स्टोक की गम्भीर बीमारियों से मेरी पुत्रवधु की हरकतो से गम्भीर रूप से पीडित हूं। उक्त समस्याओं से परेशान होकर पुलिस थाना सोजत रोड़ में एक रिपोर्ट उपरोक्त सम्बंध में भी प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट को इस्तगासा के जरिये धारा 126, 135 (3) व 170 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत पाबंद किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करते समय वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम के मूल उद्देश्य वरिष्ठ नागरिक के जीवन एवं सम्पति की सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा गया, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के तथ्यों की गलत व्याख्या कर आलोच्य आदेश पारित किया गया जो काबिले खारिज है। अपीलाण्ट ने बुढ़ापे में सम्मानपूर्वक जीवन निर्वहन के लिए प्रार्थना–पत्र पेष किया गया था जिसमें अप्रार्थीयां द्वारा अपीलाण्ट के खिलाफ झुठे मुकदमें करना, अपीलाण्ट के पुत्र से अलग रहना और गैर मर्द को साथ रखना एवं अपीलाण्ट व अपीलाण्ट के पति का सामाजिक स्तर एवं रिश्तेदारों में बेईज्जती होना जिस कारण अपीलाण्ट ने आहत होकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया परन्तु अधीनस्थ न्याय़ालय द्वारा गुणावगुण पर अवलोकन के बिना आलोच्य आदेश पारित किया गया जो निरस्त योग्य है। अतः जैर अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमावे एवं रेस्पोडेण्ट को अपीलाण्ट के मकान व आवास से बेदखल या निवास के वंचित करने का आदेश फरमावे। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में 2006 SC Dt 15.12.2006 & 2025 Delhi HC Dt 13.05.2025 न्यायिक सिद्धान्त प्रस्तुत किये।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट शांतिप्रिय महिला है तथा अपीलाण्ट, रेस्पोडेण्ट की सास है, आये दिन बिना किसी युक्तियुक्त कारण के रेस्पोडेण्ट को तंग, परेशान व मारपीट करती है व वर्तमान में उक्त मकान के ताला लगाकर अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट के साथ मारपीट कर उक्त मकान से बेदखल कर दिया है। अतः अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज फरमावे।

जिला कलक्टर, पाली

बहस सुनी गई। जैर अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत के प्रकरण संख्या 03/2025 बअनवान सेणू देवी बनाम सुनिता चौधरी में आदेश दिनांक 18.08.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अपीलाण्ट का प्रमुख उज्र यह है कि उनकी पुत्रवधु उनके स्व अर्जित आय से खरीदशुदा मालिकाना हक के मकान में उनके साथ रहकर उन्हें आये दिन मानसिक एवं शारीरिक रूप से परेशान करती है एवं झगड़ालू प्रवृत्ति की है। जिससे रेस्पोडेण्ट को, जो कि अपीलाण्ट की स्वअर्जित आय से खरीदशुदा मकान प्लॉट संख्या 67, आबादी भूमि खसरा संख्या 22/1, संपरिवर्तन आदेश संख्या/राजस्व/863 दिनांक 28/04/1994 है, जिसका पट्टा संख्या 20, बुक

संख्या 102, मिसल संख्या 52/2022–23, दिनांक 18/01/2023 को संकल्प संख्या 07 की अनुपालना दिनांक 06/04/2023 से बेदखल करावे।

हस्तगत प्रकरण में सर्वप्रथम में अधिवक्ता उभयपक्षकारान् एवं अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट स्वयं ने न्यायालय में उपस्थित होकर यह स्वीकार किया है कि जैर विवादित मकान पर वर्तमान में ताला लगा हुआ है अर्थात् वर्तमान में उक्त विवादित मकान में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट दोनों ही निवास नहीं कर रहे है। अतः यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान परिस्थिति में अपीलाण्ट को तत्काल कोई निवास अथवा कब्जा सम्बंधी हानि नहीं हो रही है तथा विवादित मकान में न तो अपीलाण्ट और न ही रेस्पोडेण्ट का वर्तमान निवास है। इस प्रकार जैर अपील का उद्देश्य स्वतः ही निष्फल हो गया है। ऐसे में न्यायालय हाजा द्वारा गुण–दोष पर विचार कर किसी विधिक जटिलता को जन्म देना उचित प्रतीत नहीं होता।

लिहाजा जैर अपील निष्फल हो जाने से खारिज की जाती है एवं अपीलाण्ट को परामर्श दिया जाता है कि अगर भविष्य में पुत्र अथवा पुत्रवधु द्वारा वापस किसी प्रकार का झगड़ालू कृत्य किया जाता है अथवा भरण–पोषण नहीं किया जाता है तो वे पृथक से पुनः सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने को स्वतंत्र है। निर्णय की सत्यप्रति उभयपक्ष को एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक **27.10.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सुने इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली